

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

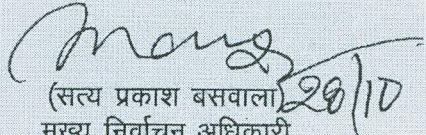
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 5116

दिनांक : 28.10.14

आदेश

आयोग के आदेश क्रमांक 3982 दिनांक 15.09.2014 (सां. आ. सं. 95/2014) के पैरा दो में प्रयुक्त हुए "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 32-क की उपधारा (1)" के स्थान पर "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (1)" पढ़ा जाए।

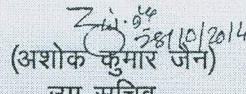

(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक : 28.10.14

क्रमांक: प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/ 5116

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलेक्टर) राजस्थान।
5. समस्त निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका चुनाव) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
6. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

दिनांक : 15/9/14

अधिसूचना

सां. आ. 95/2014 राज्य में नगरपालिकाओं का निर्वाचन कराया जाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-य क के अंतर्गत नगरपालिका संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन पर नियंत्रण, अधीक्षण व निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं।

राजस्थान नगरपाका अधिनियम, 1959 की धारा 32-क की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक कोई अभ्यर्थी या उसका अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन से लगाये गये प्रतिबंधों के उल्लंघन में किसी वाहन या लाऊडस्पीकर का उपयोग करता है या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों को प्रदर्शित करता है तो, वह शास्ति जो रुपये 2,000/- तक हो सकेगी, से दण्डनीय होगा।

अतः नगरपालिकाओं में सदस्यों के लिए निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारु संचालन के लिए उक्त धारा 32-क और संविधान के अनुच्छेद 243-य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक की अवधि के दौरान अभ्यर्थी या उसके अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहनों या लाऊडस्पीकरों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आयोग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 7923 दिनांक 25.07.2000 (सां. आ. सं. 42/2000) एवं अधिसूचना क्रमांक 2800 दिनांक 09.07.2014 (सां. आ. सं. 84/2014) को अतिरिक्त करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ:- (i) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका (वाहनों एवं लाउडस्पीकों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2014 है,

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह नगरपालिकाओं में सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

(iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ:- (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "निर्वाचन" से नगरपालिका के किसी वार्ड के सदस्यों के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;

(ii) "प्ररूप क" से इस आदेश से संलग्न "प्ररूप क" अभिप्रेत है:

(iii) "पैरा" से इस आदेश का "पैरा" अभिप्रेत है;

(iv) "उप पैरा" से उस पैरा का "उप पैरा" अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और

(v) "नियम" से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;

(2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये हैं।

(3) कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होना- अन्यथा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक किसी भी दिन निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा:-

(i) बस - (ii) ट्रक - (iii) मिनी बस और (iv) मेटाडोर

वार्ड संख्या के सदस्य पद के लिए निर्वाचन

निर्वाचन में अभ्यर्थी के द्वारा मुद्रित या तैयार कराये गये पोस्टरों, बैनरों के विवरण संबंधी घोषणा

1.	अभ्यर्थी का नाम	
2.	अभ्यर्थी के पिता का नाम	
3.	अभ्यर्थी का पता	

4. अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार कराये गये बैनरों का विवरण:-

(क)	तैयार कराये गये बैनरों का प्रकार व उनकी संख्या (अलग-अलग विवरण दें)	
(ख)	तैयार कराये गये बैनरों पर व्यय की गई राशि.	
(ग)	बैनर तैयार करने वाले व्यक्ति या फर्म का नाम व पता।	

5. अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मुद्रित कराये गये पोस्टरों का विवरण:-

(क)	पोस्टरों का आकार व संख्या	
(ख)	मुद्रक का नाम व पता जहां से मुद्रित कराया गया	
(ग)	मुद्रण पर किया गया व्यय	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पूरा पता :

मैं सत्य निष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य है और सही है

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए।